

प्रेषक,

29/07/2015

संख्या-218(1)/23-11-2015-1/2(37)/2015

राजेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2015

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद मुरादाबाद में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर लोकोशेड के निकट रेल उपरिगामी सेतु को 02 लेन से 04 लेन करने हेतु चौड़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-68/प्रा०आगणन-मुरादाबाद/सेतु-6/15, दिनांक 14-05-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद मुरादाबाद में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर लोकोशेड के निकट रेल उपरिगामी सेतु को 02 लेन से 04 लेन करने हेतु चौड़ीकरण कार्य की आंकलित लागत रु० 3194.34 लाख (रूपये इकत्तीस करोड चौरानवे लाख चौतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु० 336.00 लाख (रूपये तीन करोड छत्तीस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन	अनुदान सं०-57 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर लोकोशेड के निकट रेल उपरिगामी सेतु को 02 लेन से 04 लेन करने हेतु चौड़ीकरण कार्य।	3194.34	336.00	265.00	71.00

(1) प्रश्नगत परियोजना के कुल स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि में से नगर निगम मुरादाबाद द्वारा 50 प्रतिशत, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण 33.33 प्रतिशत एवं आवास विकास परिषद मुरादाबाद द्वारा 16.67 प्रतिशत वहन की जायेगी। तदनुसार उक्त विभागों के अंश की देय धनराशि यथा समय प्राप्त कर ली जाय।

(2) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

2/-

- (3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (5) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (6) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० में न रखी जाय।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसूप किया जायेगा।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किराी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किराी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। फ्लाइंग ओवर की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई० वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियां तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा० उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) प्रायोजनान्तर्गत सर्विसेज शिफ्टिंग यथा-विद्युत, टेलीफोन, वन एवं जल निगम के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- (14) रोन्टेज चार्ज 12.50 प्रतिशत की धनराशि कार्यदायी संस्था/30प्र० राज्य सेतु निगम लि० को देय होगी।
- (15) लेबर सेस 01 प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-01-पुल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0517-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-19-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

(17) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- परियोजना के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप सं०-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 के प्रस्तर-2(2) तथा कार्यालय जाप सं०-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय जाप सं०-बी-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-च०मै० दिनांक 01-10-2014 के प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2107/दस-15, दिनांक 29 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश पताप सिंह)

अनु सचिव।

संख्या- 2180/23-11-2015-1/2(37)/2015-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र०, इलाहाबाद।
- 3- गण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, मुरादाबाद/उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद/आयुक्त, आवास विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (मुरादाबाद क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (पुल), उत्तर रेलवे, नई दिल्ली।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8, 30प्र० शासन।
- 10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
- 11- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र० शासन।
- 12- लोक निर्माण अनुभाग-9 एवं 10, 30प्र० शासन।
- 13- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, 30प्र० शासन।
- 14- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
- 15- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, 30प्र०।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश पताप सिंह)

अनु सचिव।